न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा वैशाली
वाद संख्या-03 में पारित आदेश की प्रतिलिपि

दिनांक		
08.05.13	यह वाद श्री अरूण कुमार सिंह, पिता-स्व0 राजेन्दर सिंह, ग्राम विहवारपुर पो0-मथुरापुर ग्रामपंचायत-नावानगर प्रखंड+थाना-बिदुपुर जिला वैशाली के दिनांक 22.02.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र के लगाये गये आरोप निम्नप्रकार है। ग्राम पंचायत नावानगर की मनरेगा योजना संख्या 10/2010-11,13/2010-11, 23/2010-11, 29/2010-11, 87/2010-11, 24/2011-12, 25/2011-12, 27/2011-12 के कार्यान्वयन में अनियमितता बरती गयी है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर, मुखिया, ग्राम पंचायत, नावानगर एवं पंचायत रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत-नावानगर से कारण पृच्छा की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत् सभी योजनाओं में कार्य नियमानुसार किया गया है। किसी भी योजना में अनियमितता नहीं बरती गयी है। कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में ग्रामपंचायत-नावानगर आयोजित विभिन्न ग्रामसभाओं की बैठकों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया है। जिसमें आम लोगों की सहमति से योजनाओं का चयन किया गया हैं एवं कुछ विवादित योजनाओं का स्थल परिवर्तन किया गया ताकि योजनाओं का सफल कियान्वयन हो सकें, जिसके आदेश फलक तथा पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न है। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । दिनांक 11.04.13 को शिकायतकर्त्ता उपस्थित हुए तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया। परन्तु शिकायतकर्त्ता द्वारा फिर भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं अन्य तिथियों पर उनके या कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण विभागीय जाँच प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। दिनांक 09.03.13 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जाँच भी की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत नावानगर के पंचायत सेवक श्री संजय किशोर, पंचायत तकनीकी सहायक श्री शशिम सौरभ, कनीय अभियंता, श्री अमरेश कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीमती वंदना कुमारी, मुखिया, ग्राम पंचायत-नावानगर तथा अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। मेरे स्थल निरीक्षण में पाया गया कि योजना संख्या 24/2011-12 एवं 27/11-12 का स्थान परिवर्तन कर दिया गया है। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.10.11 की ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव संख्या 10 एवं प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा स्थल परिवर्तन किया गया है। योजना संख्या 25/11-12 अधूरा पाया गया । पंचायत रोजगार सेवक ने बताया कि उक्त योजनाओं केवल मिट्टी भराई कार्य हुआ है। योजना को पूर्ण किया जाना शेष है। योजना संख्या 27/11-12 भी अपूर्ण पाया गया । उक्त संबंध में बताया गया कि उक्त योजना में कुछ ही कार्य हुए है। योजना प्रगति पर है। जिसे शीध्र पूरा कर लिया जायेगा। योजना संख्या 87/10-11 में भी कार्य अपूर्ण पाया गया जिसे भी शीध्र पूरा कर लिए जाने की बात कहीं गयी।	

	कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। योजना संख्या 25/11-12 तथा 27/11-12 में आंशिक रकम ही व्यय की गयी है। योजना संख्या 87/10-11 पर निर्माण कार्य जारी है। पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया ग्राम पंचायत-नावानगर को निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्य को एक महीने के अंदर पूरा कर देंगे अन्यथा इस अभिलेख को बंद करते हुए इस कार्य पर व्यय की गयी राशि वसूलनीय होगी। इस का अनुपालन श्री राकेश कुमार, सहायक अभियंता, मनरेगा वैशाली तथा कार्यक्रम पदाधिकारी बिदुपुर करेंगे। इन्हीं निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।	

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली

ज्ञापांक 529 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 16-5-13

प्रतिलिपि : मुखिया, ग्राम पंचायत-नावानगर, प्रखंड+थाना- बिदुपुर, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पंचायत रोजगार सेवक नावानगर, प्रखंड+थाना- बिदुपुर, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सहायक अभियंता, मनरेगा वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली

ज्ञापांक 529 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 16-5-13

प्रतिलिपि : शिकायतकर्त्ता श्री अरुण कुमार सिंह, ग्राम-विहवारपुर, पो०-मथुरापुर, प्रखंड+थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली

ज्ञापांक 529 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 16-5-13

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली